www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 01.02.2017

घूसखोरी के मामले में प्रमुख रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय में कार्यरत तत्कालीन पाँच कर्मियों को 30,000 रू. प्रत्येक पर जुर्माने सहित दो वर्ष की कठोर कारावास

सीबीआई अदालत, चण्डीगढ़ के विशेष न्यायाधीश ने प्रमुख रक्षा लेखा नियंत्रक, चण्डीगढ़ के कार्यालय में कार्यरत तत्कालीन ए.ए.ओ. श्री देवेन्द्र सिंह धनोवा एवं चार तत्कालीन वरिष्ठ लेखा परीक्षक यथा दीन दयाल मित्तल, देवकी नन्दन, बी.वेनू एवं राज कुमार को 30,000 रू. प्रत्येक पर जुर्माने सहित 02 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई

सीबीआई ने प्रमुख रक्षा लेखा नियंत्रक, सेक्टर-9 चण्डीगढ़ के कार्यालय में कार्यरत यथा सर्व श्री डी.डी. मित्तल, राज कुमार, देवकी नन्दन, एवं श्री देवेन्द्र सिंह धनोवा के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर दिनांक 31.03.2010 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया। जिसमें आरोप था कि उक्त कर्मियों ने सम्बन्धित यूनिटों द्वारा भेजी गई फाइलों के लेखा परीक्षण (आडिटिंग) हेतु बिल धन राशि के एक प्रतिशत की धनराशि को घूस के तौर पर माँग रहे थे। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं दो वरिष्ठ लेखा परीक्षकों यथा दीन दयाल मित्तल एवं श्री देवकी नन्दन को वरिष्ठ लेखा परीक्षक, बी.वेनू, ए.ए.ओ. श्री देवेन्द्र सिंह धनोवा एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षक श्री राज कुमार के साथ षड़यंत्र में आंशिक भुगतान के तौर पर 45,000 रू. की घूस की राशि की माँग व स्वीकार करने के दौरान गिरफ्तार किया गया। जाँच के पश्चात, उक्त आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र दायर हुआ।

विचारण अदालत ने आरोपी व्यक्यिों को कसूरवार पाया व उन्हे दोषी ठहराया।

****